POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 20.11.2024

1.थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **20.11.2024** को **थाना सेक्टर-49** पुलिस द्वारा सेक्टर-47 की सर्विस रोड से थाना सेक्टर-49 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 459/2024 धारा 125/352/351(2)/109/3(5) बीएनएस व 3/9/25/30 आयुध अधि0 में वांछित दो अभियुक्त 1.राहुल उर्फ पहलवान पुत्र महेश 2.तरुणपाल पुत्र शिवपाल को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक देशी तमंचा .315 बोर व एक देशी तमंचा .12 बोर बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल उर्फ पहलवान पुत्र महेश निवासी सरफाबाद थाना सेक्टर-113 नोएडा।
2. तरुणपाल पुत्र शिवपाल निवासी सोरखा थाना सेक्टर-113 नोएडा मूल निवासी पातराहार, थाना कोतवाली, मैनपुरी।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 तमंचा .315 बोर।
2- 01 तमंचा .12 बोर।

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 459/2024 धारा 125/352/351(2)/109/3(5) बीएनएस व 3/9/25/30 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-49, नोएडा।

2. थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 30.06.2023 को वादी द्वारा थाना सेक्टर-63 नोएडा पर एक प्रार्थना पत्र अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र बाबूराम द्वारा अशोक, हर्षित व एक अन्य साथी के साथ मिलकर वादी को सेक्टर-36 नोएडा में प्लॉट दिखाने एवं उसको आधे रेट पर दिलाने का ऑफर देकर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर वादी से 69,16,000 रुपए हड़प लेने एवं वादी द्वारा अपने पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दिया गया था। जिस पर थाना सेक्टर-63 पर मु0अ0सं0 294/2023 धारा 420/406/504/467/468/471/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 20.11.2024 को **थाना सेक्टर-63** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त अरविन्द सिहं पुत्र बाबू राम को अभियुक्त के ऑफिस ए-82 सेक्टर-63, नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त अरविंद सिंह उपरोक्त द्वारा अशोक, हर्षित व एक अन्य साथी के साथ मिलकर वादी को सेक्टर-36, नोएडा में एक प्लॉट दिखाया गया तथा बताया गया कि वह यह प्लॉट आधे रेट में दिला देगा। अभियुक्त अरविंद सिंह द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी पक्ष से धीरे-धीरे पैसे लेने शुरू किया और कुल मिलाकर 69,16,000 रुपए हड़प लिए। जब 06 महीने बीतने पर भी कोई रजिस्ट्री नही हुई तो वादी पक्ष द्वारा अभियुक्त से रजिस्ट्री के संबंध में कहा गया तो अभियुक्त अरविंद सिंह बहाने बनाता रहा। वादी पक्ष द्वारा प्लाट के संबंध में पता किया तो पता चला कि इस प्लाट के मालिक की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार गिरफ्तार अभियुक्त अरविंद सिंह द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी पक्ष से प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है।

अभियुक्त का विवरण--

अरविन्द सिहं पुत्र बाबू राम निवासी सेक्टर-1, वैशाली साहिबाबाद, थाना वैशाली, गाजियाबाद (उम्र 40 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 294/2023 धारा 420/406/504/467/468/471/506 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।